सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन *08,* सोमवार*, शाके 1946*-सितम्बर 30*, 2024*	
Asvina 08, Monday, Saka 1946- September 30, 2024	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 24, 2024

जी.एस.आर.45 **:-**भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 15 का संशोधन.- राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 15 में विद्यमान अभिव्यक्ति "जुलाई के प्रथम दिन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जनवरी के प्रथम दिन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. अनुसूची-II का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-II में,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और 3 तथा उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,, अर्थात्:-

"

2.	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत	स्नातक या वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त समतुल्य परीक्षा के साथ राष्ट्रीय अध्यापक	शारीरिक शिक्षा अध्यापक	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद/ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.)	ऐसे समस्त विद्यमान शारीरिक शिक्षा अध्यापक जो, राजस्थान संस्कृत शिक्षा

		पदोन्नति द्वारा	शिक्षा परिषद/ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.)।		और स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव। या ऐसे शारीरिक शिक्षा अध्यापक जो राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2024 के प्रारंभ की तारीख को सेवारत हैं और जो शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद/ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त	राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2024 के प्रारंभ की तारीख को सेवारत हैं, और जो शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) रखते हों, की पदोन्नति के पश्चात् केवल ऐसे शारीरिक शिक्षा अध्यापक जो शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.) की अर्हता रखते हैं, पदोन्नति के पात्र हैं।

					शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) रखतें हों और जिन्हें स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 10 वर्ष का अनुभव हो।	
3.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	स्नातक या वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त समतुल्य परीक्षा के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद/ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा।	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III	स्नातक या वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त समतुल्य परीक्षा के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद/ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा और स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	-

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 7 और 8 तथा उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

7.	शारीरिक शिक्षा अध्यापक	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) में स्नातक।	-	-	-
8.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	सीनियर सैकेण्डरी के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र/ पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक/ पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा।	-	-	-

"

[सं. एफ 1(2)डीओपी/ए-।।/2015]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
दिनेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 24, 2024

G.S.R.45 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Sanskrit Education State and Subordinate Service (School Branch) Rules, 2015, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Sanskrit Education State and Subordinate Service (School Branch) (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 15.- In rule 15 of the Rajasthan Sanskrit Education State and Subordinate Service (School Branch) Rules, 2015, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "first day of July", the expression "first day of January" shall be substituted.

3. Amendment of Schedule-II.- In Schedule-II appended to the said rules,-

(i) existing serial numbers 2 and 3 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

2.	Senior Physical Education Teacher	50% by direct recruitment and 50% by promotion	Graduate or equivalent examination recognized by UGC with Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) recognized by the National Council for Teacher Education/ Government.	Physical Education Teacher	Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) recognized by the National Council for Teacher Education/ Government, and 5 years' experience on the post mentioned in column 5. OR Such Physical Education Teachers who are in service on the date of the commencement of the Rajasthan Sanskrit Education State and Subordinate Service (School Branch) (Amendment) Rules, 2024, and have Certificate in Physical Education (C.P.Ed.) or Diploma in Physical Education (D.P.Ed.) recognized by the National Council for Teacher	After the promotion of all the existing Physical Education Teachers who are in service on the date of the commencement of the Rajasthan Sanskrit Education State and Subordinate Service (School Branch) (Amendment) Rules, 2024 and have certificate in Physical Education (C.P.Ed.) or Diploma in Physical Education (D.P.Ed.), only Physical Education Teachers, who have qualification of Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) are eligible for promotion.

					Education/ Government and having 10 years' experience on the post mentioned in column 5.	
3.	Librarian Grade II	50% by direct recruitment; and 50% by promotion	Graduate or equivalent examination recognized by UGC with degree or diploma in Library Science recognized by the National Council for Teacher Education/ Government.	Librarian Grade III	Graduate or equivalent examination recognized by UGC with degree or diploma in Library Science recognized by the National Council for Teacher Education/ Government., and 5 years' experience on the post mentioned in column 5.	-`

"

(ii) existing serial numbers 7 and 8 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

7.	Physical Education Teacher	100% by direct recruitment	Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent examination with Certificate in Physical Education (C.P.Ed.) or Diploma in Physical Education (D.P.Ed.) or Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) recognized by the National Council for Teacher Education/ Government	-	-	-
8.	Librarian Grade III	100% by direct recruitment	Senior Secondary with Certificate in Library Science/ Bachelor in Library & Information Science/ Diploma in Library & Information Science recognized by the National Council for Teacher Education/ Government.	-	-	-`

[No.F. 1(2)DOP/A-11/2015]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.